

99

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1333-पीबीआर/12 विरुद्ध आदेश दिनांक 15-3-2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला खरगोन स्व.निगरानी प्रकरण क्रमांक 10/अ-6/2011-12.

मजहर अली पिता रियासत अली
निवासी अमन नगर, खरगोन

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1- मुनव्वर पिता मुस्तफा शेख
पता- पत्थर, दलाल, खरगोन
- 2- शेर खां पिता इमाम खां मुसलमान
निवासी टेकडी मोहल्ला, खरगोन
- 3- तहसीलदार, गोगांवा

.....अनावेदकगण

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, आवेदक
श्री गणेश वर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क. 1
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक क. 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-3-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा कलेक्टर, खरगोन के समक्ष तहसीलदार गोगांवा के आदेश दिनांक 23-9-2011 से असंतुष्ट होकर शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त शिकायत के आधार पर अपर कलेक्टर, खरगोन द्वारा तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक 45/अ-6/2010-11 आदेश दिनांक 23-9-2011 को स्वप्रेरणा से निगरानी प्रकरण क्रमांक 10/अ-6/2011-12 दर्ज कर दिनांक 15-3-2012 को आदेश पारित कर स्वमेव निगरानी स्वीकार की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।





3/ प्रकरण दिनांक 22-11-2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित किया गया था कि उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है। निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

- (1) प्रकरण के प्रचलनशीलता संबंधी प्राथमिक आपत्ति पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारंभिक रूप से सुनवाई न कर विधिक त्रुटि की गई है।
- (2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29-9-2011 के अपील योग्य आदेश को अपील की समयावधि निकलने के बाद निगरानी में लेने संबंधी कोई कारण बताओ सूचना पत्र जारी नहीं कर, प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।
- (3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत एक बार निरस्त होने के बाद पुनः प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने में त्रुटि की गई है।
- (4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शिकायत के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने के संबंध में जो कारण उल्लेखित किये गये हैं, वह शिकायत से भिन्न होकर सिद्ध नहीं है।
- (5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई, साक्ष्य व प्रमाण प्रस्तुत करने का बिना अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।
- (6) दिनांक 7-3-2012 को पीठासीन अधिकारी प्रवास पर होने से प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 14-3-2012 नियत की गई थी, जिसमें प्रकरण यथावत रखा गया था, उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी दिनांक 15-3-2012 को अंतिम आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।
- (7) तहसील न्यायालय के समक्ष शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। यदि शिकायतकर्ता उक्त आदेश से असंतुष्ट थे, तब उसे उक्त आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहिए थी, किन्तु उसके द्वारा शिकायत की गई है और शिकायत के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है।


4/ अनावेदक क्रमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय हैं।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी में उल्लिखित आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए स्वमेव निगरानी प्रकरण स्वीकार किया गया है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश में बताई गई अनियमितताओं का खण्डन नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक पक्ष द्वारा इस न्यायालय में जो समझौता प्रस्तुत किया गया है, वह इस प्रकरण के पक्षकारों के मध्य नहीं होकर अन्य पक्षकारों के मध्य है। अतः अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-3-2012 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर